

केन्द्रीय सूचना आयोग
बाबा गंगनाथ मार्ग,
मुनिरका, नई दिल्ली - 110067.

संचिका सं. CICOM/R/2018/00519

दिनांक 24.05.2018

सेवा में,

श्री पंकज कुमार ओझा,

विषय:- सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत सूचना ।

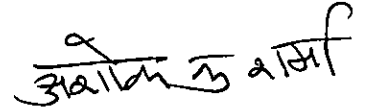
महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके दिनांक 15.05.2018 का आर.टी.आई. आवेदन जो दिनांक 21.05.2018 को केन्द्रीय सूचना आयोग में डायराईज हुआ (डायरी सं. 132064) तथा आयोग के आर.टी.आई. प्रकोष्ठ में दिनांक 22.05.2018 को प्राप्त हुआ से संबंधित सूचना निम्नांकित है:-

केन्द्रीय सूचना आयोग के आदेश में जिस अधिकारी पर जुर्माना लगाया जाता है, उस अधिकारी से जुर्माने की राशि वसूली जाती है ।

आयोग के आदेश पर न्यायपालिका के अतिरिक्त किसी अन्य अधिकारी द्वारा किसी प्रकार की टिप्पणी नहीं की जा सकती ।

यदि आप उपरोक्त सूचना से संतुष्ट नहीं हैं तो इस सूचना की प्राप्ति के 30 दिनों के अंदर प्रथम अपील श्री आर. के. सिंह, अपर सचिव एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी, केन्द्रीय सूचना आयोग, बाबा गंगनाथ मार्ग, मुनिरका, नई दिल्ली - 110067 दूरभाष नं. 011-26162290 पर की जा सकती है ।



(ए. के. शर्मा)
केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी,
आर.टी.आई.सेल
दूरभाष - 011-26172690